

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / गुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 29.04.2021


समस्त जिला कलक्टर,  
राजस्थान

विषय:- जिला स्तरीय वार रूम की सूचनाओं के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.09.2020 की निरन्तरता में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.04.2021 के द्वारा राज्य स्तरीय वार रूम के प्रभावी संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

उक्त आदेश के पृष्ठांकन क्रमांक 9 में आपको बिन्दु संख्या एक की सूचनाएँ विभाग की मेल आई. डी. dsmedicalgroup2@gmail.com पर भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे, मैं आंशिक संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या एक व दो की सूचनाएँ मेल आई. डी. rajsampark@rajasthan.gov.in पर भिजवाये जाने का श्रम करावें।

भवदीय,




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
8. मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
14. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर



शासन उप सचिव